प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.02.2025

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मारपीट व गाड़ी क्षतिग्रस्त करने वाले 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 07.02.2025 को समय करीब 20.50 बजे रफीकाबाद एस. आर. गार्डन के सामने दो पक्षों में रास्ते में गाडी निकालते समय आपस में विवाद हुआ जिसमें दोनो पक्षों द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुये दो गाडियाँ क्षतिग्रस्त कर दी गई। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मसूरी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मु0अ0सं0-032/2025 धारा-191(2)/191(3)/131/115(2)/352/351(3)/324(4) बी.एन.एस. बनाम प्रथम पक्ष के (1) इरफान पुत्र रहीम (2) फैजान पुत्र इरफान निवासी एस आर गार्डन के पास रफीकाबाद थाना मसूरी गाजियाबाद व द्वितीय पक्ष के (1) इमरान पुत्र सद्दीक निवासी गली वाली मस्जिद डासना थाना वेवसिटी (2) आमिर पुत्र मौ0 उस्मान निवासी मो0 चार विसा डासना थाना वेवसिटी (3) अर्शलम पुत्र मनव्वर हाल निवासी फ्लैट नं0 7013 7th फ्लोर देव हाईट्स कालोनी थाना वेवसिटी गाजियाबाद मूल निवासी गांव जोला थाना बुढाना मुजफ्फरनगर व दोनों पक्षों के 8-10 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुये कुल 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

प्रथम पक्ष से

(1) इरफान पुत्र रहीम उम्र 43 वर्ष

(2) फैजान पुत्र इरफान उम्र 18 वर्ष निवासीगण एस आर गार्डन के पास रफीकाबाद थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद

द्वितीय पक्ष से

(1) इमरान पुत्र सद्दीक निवासी गली वाली मस्जिद डासना थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

(2) आमिर पुत्र मौ0 उस्मान निवासी मौ0 चार बिसा डासना थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष

(3) अर्शलम पुत्र मनव्वर हाल निवासी फ्लैट नं0 7013 7th फ्लोर देव हाईट्स कालोनी थाना वेवसिटी कमि0 गाजियबाद मूल निवासी गांव जोला थाना बुढाना मुजफ्फरनगर उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के सम्बध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 032/2025 धारा 191(2)/191(3)/131/115(2)/352/351(3)/324(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.02.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को अभियुक्त शिवम उर्फ काले द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर द्वारा तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत

किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन कर पीडिता की तलाश की गई।

तत्पश्चात दिनांक 07.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा आज दिनांक 08.02.2025 को पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त शिवम उर्फ काले पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को मोदीनगर पट्टी रोड से गिरफ्तार किया गया है व उपरोक्त अभियोग में पीडिता के बयानों के आधार पर धारा-87 बी0एन0एस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी की पुत्री और मैं एक-दूसरे को पिछले 03 वर्ष से जानते हैं तथा एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे जिस कारण मैं उसे अपने साथ भगा कर ले गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

शिवम उर्फ काले पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व तमंचे की नाल में फंसा खोखा कारतूस व 02 लोहे के पाइप प्लास्टिक चढे हुए व एक लकडी का बैंटा बरामद।

दिनांक 04.02.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरे भाई नितिन व उसके दोस्त शिवम पर अभियुक्त सद्दाम एवं 04 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल रोककर हमला करना, फायरिंग करना व एक राय होकर लाठी डंडो से मारपीट करना जिससे दोनों के गम्भीर चोट आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर द्वारा तत्काल धारा-191(2)/191(3)/127(2)/131/109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.02.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र रफीक निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा हाल निवासी गली न0 3 जैनती मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष को सुक्कन गढी

की तरफ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व तमंचे की नाल में फंसा खोखा कारतूस व 02 लोहे के पाइप प्लास्टिक चढे हुए व एक लकडी का बैंटा बरामद हुआ तथा उपरोक्त अभियोग में बयानों व बरामदगी के आधार पर धारा-191(2)/193(3)/127 बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 3(5)/126(2)/115(2) बी0एन0एस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 01/02/2025 को मेरी पत्नी का जन्मदिन था। मैं और मेरी पत्नी हवा हवाई रैस्टोरैन्ट पर आये थे तो नितिन, शिवम व 02 लोगों ने हमारे साथ बदत्तमीजी व मारपीट की थी जिसका मैनें व मेरी पत्नी ने विरोध किया था। जिसके बाद हम पर दबाव बना कर फैसला करा दिया था। उसी बात को लेकर मुझे गुस्सा था। यह बात मैनें अपने साथियों को बतायी थी। दिनांक 02/02/2025 की रात्रि में मैं व मेरे साथी (1) रहमान पुत्र मौहम्मद इकरामुद्दीन निवासी बस डिपो के पास नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली (2) आबिद पुत्र नामालूम नि0 पप्पू कालोनी कब्रिस्तान के पास सीमापुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद (3) इस्तकार पुत्र नामालूम नि0 राशिद गली गेट के पास थाना लोनी गाजियाबाद के साथ मिलकर रहमान की गाडी टोएटा करौला में बैठकर हवा हवाई रैस्टोरैन्ट से भोजपुर की तरफ नितिन व शिवम का पीछा किया, इन दोनों पर मैनें व मेरे साथियों ने पहले से ही नजर रखी हुई थी, जब नितिन व शिवम अपनी ड्यूटी समाप्त करके भोजपुर की तरफ चल दिये तो मैनें अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे नितिन पुत्र ओमपाल व शिवम पुत्र विरेन्द्र नि0गण खंजरपुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को मोटरसाइकिल के आगे अपनी गाडी लगाकर, दिनांक 03/02/2025 को समय 00.15 बजे रोक लिया था उसके बाद मैनें व मेरे साथियों ने लोहे, प्लास्टिक व लडकी के डण्डे व लात घूसों से दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी, तो ये दोनों हमसे छूटकर गन्ने के खेतों की तरफ भागे, हम इनके पीछे भागें, मेरे साथियों ने मुझे कहा कि इन दोनों को गोली मार दो, तो मैनें अपनी अंटी से एक तंमचा निकालकर जान से मारने की नियत से नितिन की तरफ फायर किया परन्तु नितिन को गोली नहीं लगी और ये गन्ने के खाली खेत में घुस गये थे मैनें व मेरे साथियों ने नितिन को गन्ने के खाली खेत में भी पकडकर जान से मारने की नियत से पीटा था फिर हम सभी साथी कार में बैठकर काशी टोल प्लाजा मेरठ से होते हुए मोदीनगर के रास्ते अपने घर चले गये थे तमंचा व डण्डा मौके पर ही मैनें सडक के किनारे झाडियों में छिपा दिया था।

<u>बरामदगी का विवरण—</u>

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व तमंचे की नाल में फंसा खोखा कारतूस व 02 लोहे के पाइप प्लास्टिक चढे हुए व एक लकडी का बैंटा बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

सद्दाम पुत्र रफीक निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा हाल निवासी गली न0 3 जैनती मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम ।